- [प्रसूति सहायता योजना । (क्लिक करें)]
- [शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना । (क्लिक करें)]
- [मेद्यावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना । (क्लिक करें)]
- [विवाह सहायता योजना । (क्लिक करें)]
- [चिकित्सा सहायता /दुर्घटना की स्थिति में सहायता योजना। (क्लिक करें)]
- [मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना । (क्लिक करें)]
- [आवास ऋण योजना । (क्लिक करें)]
- [पेंशन सहायता योजना । (क्लिक करें)]

, l-d-lkudj
Je fujh{kd ¼Je 'kk[kk½ ftyk flouh

i:lfr lgk;rk ;kstuk

निर्माण श्रमिक चाहे पुरूष हो या स्त्री , पति हो या पत्नि में से कोई भी निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो, 02 प्रसूति तक के लिये मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश के ऐवज में 5000/— रूपये की राशि देय होगी । जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त न होने की दशा में मंडल द्वारा 5000/— रूपये के अतिरिक्त 1000/— रूपये और देय होगा ।

प्रसूति हितलाभ अधिकतम 02 बार के प्रसव हेतु ही देय होगा । जननी सुरक्षा योजना के प्रावधानों के अनुरूप सहायता देय होगी ।

प्रसूति के दौरान हिताधिकारी महिला श्रमिक की मृत्यू हो जाने पर उसकी मृत्यु की तिथि तक का प्रसूति हितलाभ एवं प्रसूति चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान उसके उत्तरजीवी परिवार के सदस्यों, पति (पूर्ण राशि)। पुत्र/पुत्री एक से अधिक होने पर बराबर भाग में तथा उपरोक्त उत्तरजीवी न होने पर वैद्य उत्तरदाधिकारी/उत्तरदाधिकारियों को प्राप्त होगा।

xkeh.k {k=k के लिये प्रसूति होने के दिनांक से अधिकतम 60 दिन के भीतर, जनपद पंचायत को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट तीन में है।

'kgjh {k=k में श्रम कार्यालय/एस.डी.एम. कार्यालय में 60 दिन की समयावधि के अंदर निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा । आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट तीन में है। अगले पृष्ठ में निर्धारित प्रारूप पृष्ठांकित है।

आवेदन पत्र के लिए यहॉं क्लिक करें ।

, l-d- lkudj
Je fujh{kd ¼Je 'kk[kk½ ftyk flouh

f'k{kk gsrq izksRlkgu jkf'k ;kstuk

¼1½ ;kstuk ds izko/kku D;k gS\

1. योजना के प्रावधानानुसार छात्र/छात्रायें जो की कक्षा 1 से 5 वी, कक्षा 6 से 8 वी कक्षा 9 से बारहवी , स्नातकस्तर बी.ए., बीकाम, बी.एस.सी, बी.ई. एम.बी.बी.एस. तथा अन्य सभी स्नातक स्तर की व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर कक्षाओ में जैसे एम.ए. एम.काम.. एम.एस.सी. एम.डी. एम.एस. स्नातकोत्तर स्तर व्यवसायिक परीक्षा उच्च अध्ययन तथा अन्य डिप्लोमा जैसे आई.टी.आई. पॉलिटेक्निक, बी.सी.ए. आदि की शिक्षा शासकीय अथवा केन्द्र/राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में प्राप्त कर रहे हो को शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि की पात्रता होगी । प्रोत्साहन योजना का कक्षावार विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	प्रोत्साहन हेतु कक्षावार पात्रता	वार्षिक प्रोत्साहन राशि	
		छात्र	छात्रा
1.	कक्षा 1 से 5 तक	500	750
2.	कक्षा 6 से 8 तक	750	1000
3.	कक्षा 9 से 10 तक	1000	1500
4.	स्नातक कक्षा जैसे बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम/डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम आदि	1500	2000
5.	स्नातकोत्तर कक्षा जैसे एम.ए.,एम.एस.सी., एम.काम, स्नातकोत्तर डिप्लोमा आदि ।	2500	3000
6.	स्नातक स्तर की व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने पर	3000	4000
7.	स्नातकोत्तर स्तर की व्यवसायिक परीक्षा में अध्ययनरत पी.एच.डी. या शोध कार्य करने पर	4000	5000

2- ;kstuk dh ik=rk fdls gS \

1. पंजीबद्ध निर्माण कर्मकार हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री/पत्नि इस योजना के लिये पात्र होगें।
2. छात्र/छात्रा शिक्षण संस्थान में नियमित अध्ययनरत् विद्यार्थी होगें ।
3. हिताधिकारी की पत्नि को प्रोत्साहन राशि की पात्रता के लिये यह आवश्यक शर्त है कि, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक न हो तथा शिक्षण संस्थान में नियमित अध्ययनरत् हो ।
4. किसी पंजीबद्ध निर्माण कर्मकार हिताधिकारी की अधिकतम दो संतान अथवा एक संतान एवं पत्नि को एक समय में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी ।
5. परंतु यदि पति/पत्नि दोनों पंजीबद्ध निर्माण कर्मकार हिताधिकारी हों इस परिस्थिति में पति/पत्नि के अधिकतम दो ही शिक्षारत बच्चों को इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि की पात्रता होगी।
6. प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रोत्साहन राशि पाने के लिये निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र भरकर 31 मार्च तक प्राप्त किये जा सकेगें।

अगले पृष्ठ में निर्धारित प्रारूप पृष्ठांकित है।

,l-d-lkudj
Je fujh{kd ¼Je 'kk[kk½ ftyk flouh

3- ;kstuk gsrq vkosnu dSls ,oa dgka djsa \

1. योजना के अंतर्गत असंगठित पंजीबद्ध निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय के संस्था प्रमुख/प्राचार्य को प्रस्तुत किये जावेगें।
2. प्राप्त आवेदन पत्र प्रोत्साहन की राशि की स्वीकृति शासकीय विद्यालय/महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा दी जावेगी।
3. शासकीय मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों के मामले में निजी शाला/महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख की अनुसंशा पर शासकीय संकुल प्राचार्य/जिले के शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रोत्साहन राशी की स्वीकृति दी जावेगी।

4- Hkqxrku dh izfØ;k D;k gksxh \

1. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों/महाविद्यालयों मैं अध्ययनरत विद्यार्थियों के मामले में स्वीकृत कर्ता प्राचार्य /संस्था प्रमुख द्वारा छात्रवार स्वीकृत राशि की सूची(मंडल द्वारा छात्र के पिता/माता को जारी परिचय पत्र का क्रमांक देते हुये) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को भुगतान हेतु प्रेषित करेगें।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा प्रस्ताव की सरसरी जांच कर छात्रवार राशि के एकाउण्ट पेयी चैक/बैंक एडवाईस जारी कर प्राचार्य/संस्था प्रमुख को अधिकतम 15 दिन मे भेजी जायेगी ।
3. नगरीय क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मामले में स्वीकृत कर्ता प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा छात्रवार स्वीकृत राशि की सूची (मंडल द्वारा – छात्र के पिता/माता को जारी परिचय पत्र का क्रमांक देते हुये) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/अनुविभागीय दण्डाधिकारी को भुगतान हेतु प्रेषित करेगें।
4. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व /अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा प्रस्ताव की सरसरी जांच कर छात्रवार राशि के एकाउण्ट पेयी चैक/बैंक एडवाईस जारी कर प्राचार्य/संस्था प्रमुख को अधिकतम 15 दिन मे भेजी जायेगी ।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शासकीय मान्यता प्राप्त निजी शाला/महाविद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थीयों के मामले में निजी शाला के प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा छात्रावार पात्रता के अनुसार अपनी अनुसंशा के साथ सूची (मंडल द्वारा छात्र के पिता/माता को जारी परिचय पत्र का क्रमांक देते हुये) संकुल प्राचार्य/शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेगें।
6. तत्पश्चात संकुल प्राचार्य/शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा छात्रवार राशि स्वीकृत कर स्वीकृत राशि की सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को भुगतान हेतु प्रेषित करेगें।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा प्रस्ताव की सरसरी जांच कर स्वीकृत राशि का एकाउट पेयी चैक/बैंक एडवाईज जारी कर संबंधित संकुल प्राचार्य/शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य को अधिकतम 15 दिन में प्रेषित की जायेगी, जिसकी सूचना मान्यता प्राप्त निजी शाला/महाविद्यालय के संबंधित प्राचार्य /संस्था प्रमुख को दी जायेगी।
8. नगरीय क्षेत्रों में स्थित शासकीय मान्यता प्राप्त निजी शाला /महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मामले में निजी शाला/महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा छात्रवार पात्रता के अनुसार अपनी अनुसंशा के साथ स्वीकृत राशि की सूची (मंडल द्वारा छात्र के पिता/माता को जारी परिचय पत्र का क्रमांक देते हुये) संकुल प्राचार्य/शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेगें।
9. तत्पश्चात संकुल प्राचार्य/शासकीय अग्रिम महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा छात्रवार स्वीकृत राशि को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/अनुविभागीय दण्डाधिकारी भुगतान हेतु प्रेषित करेगें।

10. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा प्रस्ताव की सरसरी जांच कर स्वीकृत राशि का एकाउण्ट पेयी चैक/बैंक एडवाईज जारी कर संबंधित संकुल प्राचार्य/शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य को अधिकतम 15 दिन में प्रेषित की जायेगी

, l-ds-lkudj
Je fujh{kd ¼Je 'kk[kk½ ftyk flouh

। जिसकी सूचना शासकीय मान्यता प्राप्त निजी शाला/महाविद्यालय के संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख को दी जायेगी।

11. प्रोत्साहन राशि ग्रीष्म अवकाश अवधि को छोड़कर 10 माह के शिक्षा सत्र के लिये दी जावेगी।

12. सम्पूर्ण वर्ष की प्रोत्साहन राशि एक मुश्त 31 मार्च के पहले तक अनिवार्य रूप से प्रदान की जायेगी । प्राचार्य की जिम्मेदारी होगी पात्र छात्रों से आवेदन भरवाये एवं निर्धारित समय पर स्वीकृत राशि विस्तृत करे।

Vhi& म.प्र. राज्य पत्र दिनांक 11 जुलाई 2008 मे ''शिक्षा सहायता छात्रवृत्ति योजना '' को संशोधित कर इसे'' शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना '' कर दिया गया हैं । इसके फलस्वरूप अब निर्माण श्रमिकों के बच्चे दूसरे विभाग की छात्रवृत्ति के साथ ही मंडल द्वारा संचालित शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ भी ले सकेगें।

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

,l-d-lkudj
Je fujh{kd ¼Je 'kk[kk½ ftyk flouh

e?kkoh Nk=@Nk=kvksa dks uxn iqjLdkj ;kstuk

1. परिवार की दो संतानों की सीमा के अध्याधीन रहते हुये पंजीकृत निर्माण कर्मकारों की ऐसी समस्त संतानें जिन्होनें निम्नलिखित परिक्षाओं में से कोई भी परीक्षा '' प्रथम श्रेणी '' के अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो अथवा व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में आर्हता प्राप्त कर संबंधित व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो ।

पंजीबद्ध निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों को प्रथमश्रेणी में उत्तीर्ण होने पर कक्षा पांचवी से स्नातकोत्तर या व्यवसायिक पाठ्यक्रम तक निम्नानुसार देय होगी :-

क्र.	प्रोत्साहन हेतु कक्षावार पात्रता	वार्षिक प्रोत्साहन राशि	
		छात्र	छात्रा
1.	कक्षा 1 से 5 तक	500	750
2.	कक्षा 6 से 8 तक	750	1000
3.	कक्षा 9 से 10 तक	1000	1500
4.	12 वीं	1500	2000
5.	स्नातक कक्षा जैसे बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम/डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम आदि	2000	2000
6.	स्नातक स्तर की कक्षा में अध्ययनरत होने पर	2000	2000
7.	स्नातकोत्तर स्तर की व्यवसायिक शिक्षा हेतु चयनित होने जैसे एस.ए./एम.काम. आदि के लिये	3000	3000

2- ;kstuk dh ik=rk fdls gS \

1. पंजीबद्ध हिताधिकारी निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों को जो 5 वी बोर्ड परीक्षा से स्नातकोत्तर तक के शैक्षणिक पाठ्यक्रम की किसी स्तर की परीक्षा प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुये हों को नगद पुरस्कार के रूप में सहायता प्रदाय की जायेगी।
2. ऐसा मेद्यावी छात्र/छात्रा यदि अन्य शासकीय विभाग/संस्था के किसी योजनांतर्गत नगद पुरस्कार राशि प्राप्त करने की पात्रता रखता है, तो वह किसी एक योजना का चयन कर सकता है। जो उसके लिये हितकर/लाभप्रद हो , किन्तु किसी भी परिस्थिति में वह दो योजनाओं का एक साथ लाभ नहीं उठा सकता । योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र 31 मार्च तक जमा किये जा सकते हैं।

3- ;kstuk dh Lohd`fr dk vf/kdkj fdUgs gS \

1. प्राप्त आवेदन पत्र प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति शासकीय विद्यालय/महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा दी जायेगी।
2. योजना के अंतर्गत असंगठित पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय के संस्था प्रमुख/प्राचार्य को प्रस्तुत किये जावेगें प्राप्त आवेदन पर मेद्यावी छात्र पुरस्कार की राशि की स्वीकृति शासकीय विद्यालय/महाविद्यालय को प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा दी जावेगी।
3. शासकीय मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के मामले में निजी शाला/महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख की अनुशंसा कर शासकीय संकुल प्राचार्य/जिले के शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा मेद्यावी छात्र पुरस्कार की राशि की स्वीकृति दी जावेगी।
4. स्वीकृति की अनुशंसा/स्वीकृति के पूर्व संबंधित छात्र के पिता/माता के मंडल में पंजीबद्ध होने के साक्ष्य स्वरूप मूल परिचय पत्र का अवलोकन करना अनिवार्य होगा। परिचय पत्र की छायाप्रति के आधार पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

, l-d-lkudj
Je fujh{kd ¼Je 'kk[kk½ ftyk flouh

4- Hkqxrku dh izfØ;k D;k gksxh \

1. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मामले में स्वीकृत कर्ता प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा छात्रवार स्वीकृत राशि की सूची (मंडल द्वारा छात्र के पिता/माता को जारी परिचय पत्र का क्र. देते हुये) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को भुगतान हेतु प्रेषित करेगें ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा प्रस्ताव की सरसरी जांच कर छात्रवार स्वीकृत राशि के एकाउण्ट पेयी चैक/बैंक एडवाईज जारी कर प्राचार्य/संस्था प्रमुख को अधिकतम 15 दिन में भेजी जायेगी ।
3. प्राचार्य /संस्था प्रमुख द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त राशि के आधार पर छात्रवार बेयरर चैक तैयार कर संबंधित छात्र को वितरित किये जायेगें।
4. नगरीय क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मामले स्वीकृत कर्ता प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा छात्रवार स्वीकृत राशि की सूची (मंडल द्वारा छात्र के पिता/माता को जारी परिचय पत्र का क्र. देते हुये) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/अनुविभागीय दण्डाधिकारी को भुगतान हेतु प्रेषित करेगें।
5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा प्रस्ताव की सरसरी जांच कर स्वीकृत राशि के एकाउण्ट पेयी चैक/बैंक एडवाईज जारी कर प्राचार्य/संस्था प्रमुख को अधिकतम 15 दिन में भेजे जायेगें।
6. प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त राशि के आधार पर छात्रवार बेयरर चैक तैयार कर संबंधित छात्र को वितरित किये जायेगें।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शासकीय मान्यता प्राप्त निजी शाला/महाविद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के मामले में निजी शाला के प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा छात्रवार पात्रता के अनुसार अपनी अनुशंसा के साथ सूची (मंडल द्वारा छात्र के पिता/माता को जारी परिचय पत्र का क्र. देते हुये) संकुल प्राचार्य/शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेगें।
8. तत्पश्चात संकुल प्राचार्य/शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा छात्रवार राशि स्वीकृत कर स्वीकृत राशि की सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को भुगतान हेतु प्रेषित करेगें।
9. नगरीय क्षेत्रों में स्थित शासकीय मान्यता प्राप्त निजी शाला/महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मामले में निजि शाला/महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा छात्रवार पात्रता के अनुसार अपनी अनुशंसा के साथ स्वीकृत राशि की सूची (मंडल द्वारा छात्र के पिता/माता को जारी परिचय पत्र का क्र. देते हुये) संकुल प्राचार्य/शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेगें।
10. पश्चात संकुल प्राचार्य/शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा छात्रवार स्वीकृत राशि की सूची अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/अनुविभागीय दण्डाधिकारी को भुगतान हेतु प्रेषित करेगें।
11. संपूर्ण वर्ष की नगद पुरस्कार राशि एक मुश्त 31 मार्च के पहले तक अनिवार्य रूप से प्रदान की जायेगी। प्राचार्य की जिम्मेदारी होगी की पात्र छात्रों से आवेदन भरवायें एवं निर्धारित समय पर स्वीकृत राशि वितरित करें।

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

fookg gr| lgk;rk ;ktuk

1- ;ktuk d i ko/kku D;k g \

1. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता) योजना है।
2. योजना के अंतर्गत रूपये 5000/— प्रति विवाह सहायता एवं इसके अतिरिक्त रूपये 1000/— सामूहिक विवाह के आयोजक को प्रति विवाह अलग से देय होगी।

2- ;ktuk dh ik=rk fdl g\

1. यह योजना महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह अथवा निर्माण कर्मकार हिताधिकारी की धर्मज या विधि मान्य गोद ली गई या सौतेली ऐसी पुत्री जिसकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं हो के लिये लागू होगी।
2. पंजीबद्ध महिला श्रमिक के विवाह/एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक न्यूनतम 5 महिला श्रमिकों के सामूहिक विवाह/एकल विवाह के आयोजन की दशा में लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

3- ;ktuk gr| vkonu d l ,o dgk dj \

1. आवेदिका को विवाह की प्रस्तावित तिथि के एक माह पूर्व आवेदन करना होगा ।
2. आवेदन पत्र में हस्ताक्षर आवेदिका महिला श्रमिक के स्वयं अथवा निर्माण श्रमिक की पुत्री का होना चाहिये । निर्माण श्रमिक (पिता/माता) का नहीं ।
3. महिला श्रमिक स्वयं आवेदिका होने पर अथवा आवेदिका (पुत्री होने पर) के पिता/माता के परिचय पत्र का पंजीयन क्रमांक अंकित करना होगा।
4. ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत, जनपद पंचायत को निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट पांच में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
5. शहरी क्षेत्र में श्रम कार्यालय/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय में समयावधि के अंदर निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट पांच में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

4- ;ktuk dh Lohdfr dk vf/kdkj fdUg g\

1. पात्रता की जांच उपरांत ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा अध्यक्ष जनपद पंचायत की अनुमति अथवा अनुमति की प्रत्याशा में प्रकरण को स्वीकृत कर सकेगें।
2. शेष शहरी क्षेत्र तथा ऐसे जिले जहां पर श्रम निरीक्षक पदस्थ है, वहां के शहरी क्षेत्र में योजना की स्वीकृति का अधिकार श्रम निरीक्षक की अनुशंसा पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को हैं।

5- Hkxrku dh ifØ;k D;k gkxh \

1. सामूहिक विवाह के आयोजन की प्रतीक्षा किये बिना पात्र पाये जाने पर स्वीकृति पत्र जारी करते हुये स्वीकृति पत्र मे स्पष्ट किया जाये की रूपये 5000/— एकाउण्ट पेयी चैक द्वारा सामूहिक विवाह के आयोजन के दिन आवेदिका को प्राप्त किये जायेगें।
2. सामूहिक विवाह के आयोजकों को भी आयोजन की व्यवस्था करने के लिये 1000/— रूपये प्रतिविवाह की दर से राशि स्वीकृत कर एकाउण्ट पेयी चैक द्वारा आयोजक को भुगतान किया जायेगा।
3. एकल विवाह की पुष्टी होने कीदशा में भी 5000/— रूपये की राशि एकउण्ट पेयी चैक द्वारा आवेदिका को देय होगी ।

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

, l-d- lkudj
Je fujh{kd ¼Je 'kk[kk½ ftyk flouh

fpfdRlk lgk;rk@n?kVuk dh fLFkfr esa fpfdRlk lgk;rk ;kstuk

सभी पंजीबद्ध निर्माण श्रमिकों को राज्य की निम्न योजनाओं के अंतर्गत समकक्ष लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी । जननी सुरक्षा योजना , दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, राज्य/जिला बीमारी सहायता निधि , गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पंजीबद्ध असंगठित निर्माण श्रमिको के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना , शासन की अन्य कोई जीवन बीमा, स्वास्थ्य सहायता योजना जिनमें पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक की पात्रता आती हो। इन योजनाओं के प्रावधान के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा देय लाभ प्राप्त न होने की दशा में मंडल द्वारा समकक्ष लाभ देय होगें।

1- ;kstuk dh ik=rk fdls gS \

1. यह योजना उन भवनों और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी जो भवन एवं अन्य निर्माण कार्यो में लगे हुये हैं तथा हिताधिकारी परिचय पत्र धारी हैं ।
2. यह स्पष्ट किया जाता है कि, उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत आंतरिक रोगियों (इनडोर) को ही योजनांतर्गत लाभ स्वीकृत किया जायेगा। बाह्य रोगियों (आउट डोर) को कोई सहायता देय नहीं होगी।
3. निर्माण श्रमिक तथा उनके परिवार के सदस्य सभी शासकीय अस्पताल तथा मंडल द्वारा अधिसूचित निजी अस्पतालों में चिकित्सा कराये जाने पर उक्त योजना के लाभ के पात्र होगें।

2- ;kstuk gsrq vkosnu dSls ,oa dgka djuk gS \

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जनपद पंचायत को निर्धारित प्रारूप में आवेदन परिशिष्ट तीन में प्रस्तुत करना होगा।
2. शहरी क्षेत्र में श्रम कार्यालय/एस.डी.एम. कार्यालय में समयावधि के अंदर निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट तीन में प्रस्तुत करना होगा।
3. शहरी क्षेत्र तथा ऐसे जिले जहां पर श्रम निरीक्षक पदस्थ है वहां के शहरी क्षेत्र में योजनाओं के स्वीकति के अधिकार श्रम निरीक्षक की अनुशंसा पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व करेगें।
4. 15 हजार से 1 लाख तक स्वीकृति के अधिकार सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुशंसा पर कलेक्टर को है।
5. 1 लाख से 2 लाख रूपये तक की स्वीकृति के अधिकार नगरीय क्षेत्र के लिये कलेक्टर की अनुशंसा पर संभागीय आयुक्त को हैं।
6. 2 लाख से अधिक किन्तु 3 लाख तक की राशि से संबंधित प्रकरण श्रम कार्यालय/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुशंसा सहित मंडल को प्रेषित किया जाये जिसका मंडल के अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन पश्चात स्वीकृत किया जायेगा ।
7. ग्रामीण क्षेत्र में 15000/– रूपये तक की स्वीकृति के पश्चात जनपद पंचायत के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अध्यक्ष की अनुमति अथवा अनुमति की प्रत्याशा में प्रकरण को स्वीकृत कर सकेगें। आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट तीन अगले पृष्ठ में पृष्ठांकित है।
8. 15हजार से 1लाख रूपये तक की स्वीकृति का अधिकार जनपद पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी की अनुशंसा पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को हैं।
9. 1लाख से दो लाख रूपये तक की स्वीकृति के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अनुशंसा पर संभागीय आयुक्त को हैं।
10. 2 लाख से अधिक किन्तु 3 लाख रूपये तक की राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अनुशंसा हेतु मंडल को प्रेषित किये जाने पर जिसका मंडल के अध्यक्ष महोदय, के अनुमोदन पश्चात स्वीकृत किया जावेगा।
11. ऐसे पंजीबद्ध निर्माण श्रमिकों को जो गरीबी की रेखा के नीचे भी आने के कारण उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत सहायता के पात्र हैं, उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/संबंधित विभाग द्वारा सहायता राशि स्वीकृत होने कीदशा में मंडल द्वारा अलग से सहायता राशि देय नहीं होगी ।

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

,l-ds- lkoudj
Je fujh{kd ¼Je 'kk[kk½ ftyk flouh

eR;q dh n'kk e vR;f"V lgk;rk ,o vuqxg Hkqxrku ;ktuk

1. vR;f"V lgk;rk & पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर या दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर 2000/— रूपये (दो हजार रूपये) अत्येष्टि सहायता देय होगी।
2. (अ) पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर अनुग्रह भुगतान योजना के तहत 25000/— (पच्चीसहजार रूपये) अनुग्रह राशि देय होगी।
   (ब) पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक की कार्य के दौरान दुर्घटना मृत्यु होती है तो अनुग्रह भुगतान योजना के तहत 100000/— (एक लाख रूपये) देय होगी।
   (स) दुर्घटना पश्चात यदि स्थाई अपंगता होती है तो 75000/—(पचहत्तर हजार रूपये) देय होगी। इस राशि की स्वीकृति करते समय दुर्घटना स्थल पर कार्य की पर्याप्त जांच तथा अपंगता का स्पष्ट प्रमाण पत्र लिया जाये।

   ऐसे प्रकरण स्वीकृति के पूर्व सहमति हेतु संबंधित कार्यालय द्वारा मंडल के मुख्यालय को अनुमोदन के लिये संपूर्ण दस्तावेज के साथ भेजा जाना होगा ।

1- ;ktuk dh ik=rk fdlsa gs \

1. 18 से 60 वर्ष की उम्र में निर्माण श्रमिक इस योजना के पात्र होगें ।
2. हिताधिकारी निर्माण श्रमिक जिनका धारा 12 के अंतर्गत पंजीयन होगा ।
3. अंत्येष्टि सहायता तथा अनुग्रह राशि का भुगतान जानबूझकर की गई आत्महत्या या मादक द्रव्यों व पदार्थो के सेवन से हुई मृत्यु अथवा अपराध करने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करके एक दूसरे से हुई मारपीट से हुई मृत्यु की स्थिति में उक्त राशि प्रदान नहीं की जावेगी।

2- ;ktuk grq vkosnu dSls ,oa dgka djs \

1. उत्तराधिकारी की ओर से निर्माण श्रमिक की मृत्यु 3 माह तक आवेदन प्राप्त आवेदन ही स्वीकृती योग्य होगें । मृत्यु के प्रमाण पत्र स्वरूप सक्षम अधिकारी का मूल प्रमाण पत्र देखकर छायाप्रति अभिलेख में रखी जाये। आवेदन के साथ मूल पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
2. ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जनपद पंचायत को निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट 6 में आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।
3. शहरी क्षेत्र में श्रम कार्यालय/एस.डी.एम.कार्यालय में समयावधि के अन्दर निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट 6 में आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

3- ;ktuk dh Lohd`fr dk vf/kdkj fdUgsa gS \

1. ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा अध्यक्ष जनपद पंचायत की अनुमति अथवा अनुमति की प्रत्याशा में प्रकरण को स्वीकृत कर सकेगें।
2. नगरीय क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपरोक्त प्रावधानानुसार स्वीकृति हेतु सक्षम होगें।

4- Hkqxrku dh izfØ;k D;k gksxh \

1. हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के सामान्य एवं दुर्घटना में मृत्यु के तुरन्त अथवा एक सप्ताह के अंदर रूपये 2000/— अत्येष्टी सहायता राशि नगद दी जायेगी।
2. हिताधिकारी निर्माण श्रमिक का पति/पत्नि (यथास्थिति अनुसार) तथा नहीं होने पर पुत्र अथवा अविवाहित एवं आश्रित पुत्रियॉ किसी अविवाहित या ऐसे निर्माण श्रमिक जिसके पति/पत्नि या पुत्र/पुत्री न हो तो उनके पिता/माता को उत्तराधिकारी समझा जावेगा इन सब के नहीं होने पर ऐसा व्यक्ति जो उसके आश्रित हो उत्तराधिकारी होगा को राशि का भुगतान किया जावेगा।

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

,l-d- lkudj
Je fujh{kd ¼Je 'kk[kk½ ftyk flouh

vkokl _.k lgk;rk ;kstuk

1- ;kstuk dk iko/kku D;k gS \

1. यह योजना उन भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी जो कम से कम 6 वर्ष तक निधि में अभिदाय का सन्दाय करते रहे हैं तथा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्र धारी हूँ।
2. किसी पंजीबद्ध भवन एवं अन्य संनिर्माण के लिये वित्तीय संस्थाओं के लिये ऋण उपलब्ध कर एवं इस हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु अनुदान उपलब्ध कराने के लिये यह आवास ऋण सहायता योजना लागू की गई हैं।

2- ;kstuk dh ik=rk fdl s gS \

1. निर्माण श्रमिक जो हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत हो ।
2. श्रमिक का पंजीयन न्यूनतम 6 वर्ष से अधिक हो तथा हिताधिकारी के रूप में जारी परिचय पत्र में व उनके द्वारा किये गये कार्य का विवरण प्रतिवर्ष दर्ज हो।
3. श्रमिक को योजनांतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिये उसके पास आवास/भूमि का अधिकृत एवं मालिकाना हक होना अनिवार्य होगा। कर्मकार की संपत्ति विवाद रहित, बंधक रहित, होना आवश्यक है।
4. इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु विकलांग, विधवा, विकास योजनाओं के कारण विस्थापित श्रमिक को प्राथमिकता दी जावेगी।
5. संयुक्त परिवार की स्थिति में निर्माण श्रमिक के पिता या पुत्र या पत्नि के आवास हेतु इस योजना में सहायता भू–स्वामी की सहमति पर दी जा सकेगी ।
6. इन्द्रा आवास योजना के अंतर्गत यदि किसी निर्माण श्रमिक को कुटीर प्रदाय किया गया है। तो यह ऋण पर अनुदान की सहायता अतिरिक्त रूप से प्राप्त होगी।

3- ;kstuk dh Lohd`fr dk vf/kdkj fdUgs \

1. शहरी क्षेत्र तथा ऐसे जिले जहां श्रम निरीक्षक पदस्थ हैं। स्वीकृति के संबंध में श्रम निरीक्षक की अनुशंसा पर यथोचित जांच के पश्चात आवेदन पूर्ण एवं संतोषजनक पाये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को स्वीकृति के अधिकार होगें।
2. ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृति के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को अध्यक्ष जनपद पंचायत की अनुमति से यथोचित जांच के पश्चात आवेदन पूर्ण एवं संतोषजनक पाये जाने पर स्वीकृति के अधिकार हैं।

4- Hkqxrku dh ifØ;k D;k gksxh \

1. ऋण सहायता योजना की राशि सीधे वित्तीय संस्था को प्रदान की जायेगी।
2. आवास ऋण सहायता योजना –2008 के अंतर्गत 1 चैकलिस्ट इस प्रकार तैयार की जाये।
    1. हिताधिकारी का परिचय पत्र ।
    2. ऋण पुस्तिका एवं खसरे की नकल जिसपर आवास निर्माण किया जाना है।
    3. एक आवास का नक्शा ।
    4. अनुमानित ऋण वितरण ।
    5. आवासों की आयु संबंधी प्रमाण पत्र ।
    6. गृह निर्माण करने वाली संस्था का नाम /स्वयं के श्रम द्वारा ।
    7. जमानतदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ।
    8. उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र ।

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

, l-d- lkudj
Je fujh{kd ¼Je 'kk[kk½ ftyk flouh

isa'ku lgk;rk ;kstuk

1- ;kstuk ds izko/kku D;k gS \

1. यह योजना उन भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी जो कम से कम 6 वर्ष तक निधि में अभिदाय का सन्दाय करते रहे हों तथा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्र धारी रहे हो।
2. पंजीबद्ध भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक को 60 वर्ष की उम्र पूर्ण करने पर अथवा किसी भी रूप में पूर्ण विकलांग होने पर अथवा मृत्यु होने पर मृतक की विधवा को पेंशन सहायता उपलब्ध कराने हेतु यह पेंशन सहायता योजना प्रभावशील होगी।
3. योजना के अंतर्गत पंजीबद्ध श्रमिक को वृद्धावस्था में अथवा किसी दुर्घटना में पूर्ण विकलांग हो जाने पर कार्य क्षमता समाप्त हो जाने की दशा में नियमित पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता से लाभान्वित किया जायेगा।
4. निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर पति/पत्नि को आर्थिक सहायता के रूप में आजीवन पेंशन से लाभान्वित किया जायेगा। पेंशन सहायता पंजीबद्ध श्रमिक को अन्य प्रकार से प्राप्त सहायता के अतिरिक्त होगी।
5. मंडल द्वारा योजना के अंतर्गत देय पेंशन की दर रूपये 300/– प्रतिमाह होगी । जिसे मंडल समय–समय पर आवश्यकता अनुसार शासन के अनुमोदन पश्चात संशोधित कर सकेगा। पेंशन का भुगतान समस्त पात्र व्यक्तियों को प्रतिमाह दिया जावेगा।

2- ;kstuk dh ik=rk fdls gS \

1. पंजीबद्ध श्रमिक की आयु 60 वर्ष हो गई हो।
2. निर्माण श्रमिक न्यूनतम 6 वर्ष पंजीबद्ध हिताधिकारी हो तथा पंजीयन में उसके द्वारा किये गये निर्माण कार्य का इन्द्राज हो।
3. निर्माण श्रमिक को पंजीयन उपरांत किसी भी रूप में पूर्ण विकलांग होने पर ।
4. पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उसकी जीवित विधवा/विधुर को ।
5. यदि शासन की किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे ऐसे व्यक्ति इस येाजना के पात्र होगें।

3- ;kstuk dh Lohd`fr dh vf/kdkj fdUgsa gS \

1. शहरी क्षेत्र में ऐसे जिले जहां श्रम निरीक्षक पदस्थ हैं में पेंशन की स्वीकृति के संबंध में श्रम निरीक्षक की अनुशंसा पर यथोचित जांच के पश्चात आवेदन पूर्ण एवं संतोष जनक पाये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को स्वीकृति के अधिकार होगें।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन की स्वीकृति के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को अध्यक्ष जनपद पंचायत की अनुमति से यथोचित जांच के पश्चात आवेदन पूर्ण एवं संतोषजनक पाये जाने पर स्वीकृति के अधिकार होगें।

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

, l-ds- lksudj
Je fujh{kd ¼Je 'kk[kk½ ftyk flouh